न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आरए0ए0एस0

प्रकरण संख्या–01/2023

उनवान:–

1. रामरज लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री श्रीपतराम शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी मकान नं. 90 वार्ड नम्बर 57 गिर्राज कालोनी धौलपुर हाल निवासी कायस्थपाडा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर

———— प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती सलिल शर्मा पत्नि श्री मंदीप शर्मा पुत्री श्री बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी मकान नं. 90 वार्ड नम्बर 57 गिर्राज कॉलोनी धौलपुर

————अप्रार्थिया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4, 5, 22 एंव 23
माता पिता एंवम् वरिष्ठ नागरिकों का भरण
पोषण एंव कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थिति – 1. श्री गोपाल शर्मा एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. श्री वृजकिशोर परमार एडवोकेट अप्रार्थीया की ओर से

दिनांक 20/08/2024

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी 80 वर्षीय अतिवृद्ध व्यक्ति है तथा कई बीमारियों से ग्रसित है तथा घुटने में दर्द रहता है तथा चलने फिरने में दिक्कत आती है। अपनी इस अवस्था को ध्यान रखते हुए प्रार्थी ने स्वंय की आय से मकान 90 वार्ड नं0 57 गिर्राज कॉलोनी धौलपुर में भूमि क्रय कर अपनी आयु एंव अवस्था के अनुसार मकान निर्मित कराया जिसमें तीन कमरे, एक किचिन, दो बेस्टर्न लेट–बाथ, एक छोटा हॉल, भू–तल में बने हुए हैं तथा इसी प्रकार प्रथम मंजिल पर बना हुआ है।उक्त मकान की चतुर्थ सीमाऐं इस प्रकार है कि पूर्व में सरकारी सडक, पश्चिम में अन्य का खाली भूखण्ड, उत्तर में मधु सोलंकी का मकान तथा दक्षिण में प्रार्थी का कॉलेज स्थित है। यह मकान पूर्णतः प्रार्थी की आयु एंव अवस्था के अनुसार बना हुआ है। जिसमें झीने के स्टेप्स उसी अनुरूप बने हुए है जिस अनुरूप प्रार्थी चल सकता है। लेट बाथ इसी अनुरूप बने हुए है जिस अनुरूप प्रार्थी उपयोग कर सकता है। प्रार्थी के एक पुत्र मंदीप शर्मा है तथा प्रार्थी के 05 पुत्रिया हैं जिनका विवाह हो चुका है तथा वे अपने परिवार सहित ससुराल में निवास कर रही है। प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

के पुत्र मंदीप शर्मा के साथ दिनांक 04.02.2016 को संपन्न हुआ और अप्रार्थिया जो प्रार्थी की पुत्रवधू है, कायस्थपाडा वाला मकान पर विदा होकर आयी और प्रार्थी के पुत्र के साथ पति–पत्नि के रूप में रहने लगी और कोई न कोई बहाना बना कर प्रार्थी व उसके पुत्र के साथ झगडा करने पर आमादा रहती है। दिनांक 04.08.2017 को अप्रार्थिया ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम योगिता है। अप्रार्थिया ने पुत्री के जन्म के पश्चात् सोची समझी के तहत अपने माता–पिता की ताकत के बल पर कायस्थपाडा वाले मकान में लगभग 5 वर्ष से रहना बन्द कर दिया और अप्रार्थिया जबरदस्ती प्रार्थी के उक्त मकान नं. 90 गिर्राज कॉलोनी धौलपुर में निवास करने लगी और अप्रार्थिया द्वारा प्रार्थी की कोई सेवा सुश्रुषा नही की गई बल्कि अप्रार्थिया प्रार्थी से छोटी छोटी बात पर लडाई झगडा करने लगी। जिसके कारण प्रार्थी और अधिक बीमार रहने लगा और प्रार्थी का उक्त मकान में रहना दूभर हो गया। अप्रार्थिया प्रार्थी को धमकी देती है। कि वह झूठे दहेज के मुकदमें में फंसा कर प्रार्थी व उसके पुत्र को जेल भेज देगी। अप्रार्थिया द्वारा अपने माता पिता से षडयन्त्र कर एक झूठी एफआईआर अपराध धारा 498ए, 504, 506 आईपीसी की प्रार्थी व उसके पुत्र के विरूद्ध दर्ज करवायी जिसमें पुलिस ने अनुसंधान करके प्रार्थी के एफआईआर झूठी मानते हुए प्रार्थी के विरूद्ध एफआर प्रस्तुत कर दी। अप्रार्थिया प्रार्थी को आये दिन परेशान करती थी जिसके कारण प्रार्थी को मजबूरी में कायस्थपाडा वाले मकान में रहना पड रहा है। विवादित मकान प्रार्थी की स्वःअर्जित आय से प्रार्थी ने अपनी आयु व अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्मित कराया है जो उसकी स्वःअर्जित सम्पत्ति है। अप्रार्थिया द्वारा विवादित मकान में जबरदस्ती लगभग 5 वर्ष पूर्व घुस कर निवास करने के प्रार्थी को मजबूरन कायस्थपाडा वाले मकान में रहना पड रहा है। उक्त मकान में झीने के स्टेप्स एंव अन्य सीढियां पुराने समय की बनी हुई है, लेट्रिन इण्डियन कल्चर की बनी हुई है। प्रार्थी घुटने के रोग से पीडित होने के कारण उस लेट का उपयोग परेशानीपूर्वक कर रहा है एंव अन्य सुविधायें भी प्रार्थी की आयु व अवस्था के अनुरूप नही है। कायस्थपाडा वाले मकान में प्रार्थी की देखरेख करने वाला कोई नही है विवादित मकान के दक्षिण में कॉलेज स्थित है जिसका स्टाफ प्रार्थी की देखरेख कर लेता है। कायस्थपाडा वाला मकान प्रार्थी की अवस्था एंव आयु के अनुरूप नही है जिस कारण प्रार्थी सुविधापूर्वक शान्ति पूर्वक निवास नही कर पा रहा है। इसलिए प्रार्थी विवादित मकान से अप्रार्थिया को बेदखल करवा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी वृद्ध एंव अस्वस्थ्य व्यक्ति है जिसके कारण किसी भी प्रकार का तनाव प्रार्थी के स्वास्थ्य पर विपरीत एंव हानिकारक प्रभाव डाल रहा है। अप्रार्थीया एक झगडालू किस्म की महिला है, जिसको कोई अधिकार नही है कि वह प्रार्थी के उपरोक्त मकान में रहे और प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करके उसके साथ मानसिक व शारीरिक क्रूरता करें। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थिया को प्रार्थी के मकान नं0 90 गिर्राज कॉलोनी धौलपुर से बेदखल करके प्रार्थी को शान्तिपूर्वक निवासी करने हेतु व्यवस्था कराई जावे एवम् अप्रार्थिया को पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी को उक्त मकान में निवास करने में बाधा उत्पन्न नही करें तथा ना ही उपयोग व उपभोग करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

प्रार्थना पत्र दर्ज रिजस्टर कर अप्रार्थीया को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीया की ओर से श्री कुसुमाकर गर्ग एड. ने वकालतनामा पेश कर अप्रार्थिया की ओर से जवाब इस आशय का पेश किया कि मद नं. 1 में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक है परन्तु यह स्वीकार नही किया है कि वह कई बीमारियों से ग्रसित हो, घुटने में दर्द रहता हो तथा चलने फिरने में असमर्थ हो। प्रार्थी रमन सोसाइटी का अध्यक्ष है और कमला महाविद्यालय एंव कमला बी.एड. कॉलेज की देखभाल करता है। यदि प्रार्थी चलने फिरने में दिक्कत है तो वह रमन सोसाइटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर घर पर आराम कर सकता है। प्रार्थी द्वारा कमला कॉलेज एंव बी.एड. कॉलेज एंव उससे जुडा मकान प्रार्थी द्वारा रमन सोसाइटी को दान कर दिया था जिससे अब प्रार्ाी का कोई व्यक्तिगत संबध सरोकार नही रहा है। प्रार्थी व उसका पुत्र मन्दीप शादी से पूर्व शादी के समय व वर्तमान में गिर्राज कॉलोनी स्थित मकान में ही अप्रार्थिया के साथ निवास करते है तथा प्रार्थिया प्रार्थी के पुत्र मन्दीप यानि अपने पति से शराब पीने की मना करती है तो प्रार्थी व उसका पुत्र मन्दीप अप्रार्थिया को शारीरिक एंव मानसिक रूप से प्रताडित करते रहते है और प्रार्थी व उसका पुत्र मन्दीप एनकेन प्रकारेण अप्रार्थिया को उस घर से बेदखल करना चाहते है। प्रार्थी के पुत्र मन्दीप ने अप्रार्थिया के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 01.10.2021 को पारिवारिक न्यायालय धौलपुर में पेश किया जिसमें प्रार्थी, अप्रार्थिया पर तलाक के लिए दवाब बना रहा है तथा इस संबध में दिनांक 12.09.2022 को प्रार्थी व उसके पुत्र मन्दीप ने अतिरिक्त दहेज की खातिर अप्रार्थिया को शारीरिक एंव मानसिक रूप से प्रताडित किया और दवाब बनाया कि तुम पैसे ले लो लेकिन मन्दीप को तलाक दे दो इस पर अप्रार्थिया ने मना कर दिया जिस पर प्रार्थी व उसके पुत्र मन्दीप ने अप्रार्थिया की मारपीट की जिस पर अप्रार्थिया ने एफ.आई.आर नं. 234/2022 महिला थाना धौलपुर पर दर्ज कराई उसमें अनुसंधान अधिकारी ने मामला सही पाते हुए न्यायालय में प्रार्थी के पुत्र मन्दीप के विरूद्ध चार्जशीट पेश की जा चुकी है। उक्त एफ.आई.आर. में प्रार्थी का नाम था किन्तु प्रार्थी ने अपनी आर्थिक मजवूती के बल पर पुलिस से मिलकर अपना नाम निकलवा दिया है। प्रार्थी व उसका पुत्र मन्दीप गिर्राज कॉलोनी धौलपुर में निवास करते थे और प्रार्थी के पुत्र की शादी की सभी रस्में गिर्राज कॉलोनी धौलपुर स्थित मकान में ही सम्पन्न हुई थीं। अप्रार्थिया शादी के बाद विदा होकर अपने पति के साथ पति के पैतृक निवास गिर्राज कॉलोनी धौलपुर में आई और अपने पति के साथ उसी घर में पति पत्नि के रूप में रही। अप्रार्थिया शादी के समय से ही गिर्राज कॉलोनी स्थित मकान में ही निवास कर रही है और प्रार्थी व उसका पुत्र मन्दीप भी उसी गिर्राज कॉलोनी स्थित मकान में निवास कर रहे है। प्रार्थी को अप्रार्थिया से कोई परेशानी नही है बल्कि प्रार्थी जबरदस्ती अप्रार्थिया को उक्त मकान से शारीरिक मानसिक, आर्थिक व

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

सामाजिक रूप से प्रताडित कर बेदखल करना चाहता है। धारा 4, 5, 22 एंव 23 माता पिता एंव वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एंव कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अपनी पुत्रवधु को बेदखल कराने का न तो कोई प्रावधान है और नाही बेदखल करा पाने का अधिकारी है। इस कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण पृथम दृष्टया खारिज योग्य है। प्रार्थी के नाम गिर्राज कॉलोनी में वर्तमान में कोई सम्पत्ति नहीं है इस बात को प्रार्थी ने दिनांक 21.09.2023 को पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में सशपथ पूर्वक बयान में कहा गया है। जब प्रार्थी ने दोनो कॉलेज मय मकान रमन सोसाइटी को दान कर दिया तो प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर से प्रिसींपल के पद से सेवा निवृत्त है और प्रार्थी अच्छी खासी पेंशन प्राप्त कर रहा है तथा प्रार्थी कमला महाविद्यालय धौलपुर में भौतिक विज्ञान पढाने का कार्य करता है तथा कमला महाविद्यालय एंव कमला बी.एड. कॉलेज की नियमित देखभाल करता है और मासिक वेतन अर्जित करता है। इस प्रकार प्रार्थी पर आय का पर्याप्त साधन है और प्रार्थी पूर्व से ही काफी सम्पन्न है प्रार्थी अपनी सुविधा अनुसार इंग्लिश लेट बाथ बनवा सकता है। प्रार्थी द्वारा थाना निहालगंज धौलपुर में दिनांक 14.09.2022 को एक झूठा परिवाद अप्रार्थिया के विरूद्ध पेश किया। धारा 4, 5, 22 व 23 माता पिता एंव वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एंव कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रार्थी द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा है। इस कारण प्रार्थना पत्र पृथम दृष्टया निरस्त योग्य है। प्रार्थी अपनी पुत्रवधु को बेदखल कराने बावत अनुतोष चाहा है जो इन धाराओं में प्रदान किए जाने का कोई औचित्य नही है। प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी ने अपनी पुत्रबधु (अप्रार्थिया) को आर्थिक, मानसिक, व भावनात्मक रूप से प्रताडित कर जबरन दवाब डालकर अपने पुत्र मन्दीप का तलाक कराने के उद्देश्य से यह दावा झूठे तथ्यों के आधार पर दावा करने का अधिकार न होने पर व्यक्तिगत नाम से बेदखली का दावा पेश कर कानूनी भूल की है। प्रार्थी का दावा इसी स्तर पर खारिज कर आर्थिक रूप से दण्डित किया जावे।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में एफआईआर 234 महिला थाना धौलपुर की प्रति पेश की। अप्रार्थिया द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में बयान गवाह राजरज लाल शर्मा प्रकरण संख्या 164/2021 पारिवारिक न्यायालय धौलपुर दिनांक 21.09.23, 17.01.24, एंव 12.03.24, एफआईआर 234 एंव एफ.आर. महिला थाना धौलपुर, चोट प्रतिवेदन 609/14.09.22 महिला थाना धौलपुर, इस्तगासा प्रति अधीन धारा 107/116 सीआरपीसी मय आदेशिका न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की प्रमाणित प्रति तथा विवाह प्रमाण पत्र मन्दीप एंव सलिल शर्मा पेश की।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए अप्रार्थिया को मकान नं0 90 वार्ड नम्बर 57 गिर्राज कॉलोनी धौलपुर से बेदखल करने का कथन किया। तथा अपने कथनों के समर्थन में रिट पिटीशन 2035/ 2020 बॉम्बे हाईकोर्ट, मा0राज0 उच्च न्यायालय एसबीसिविल रिट पिटी. नं. 17894/2018 दिनांक 05.01.2022 की नजीर पेश की।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

विद्वान वकील अप्रार्थीया ने बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी रामरज लाल शर्मा ने गिर्राज कॉलोनी स्थित मकान को रमन सोसाइटी को दान कर दिया है। अतः ऐसी स्थिति में गिर्राज कॉलोनी स्थित मकान प्रार्थी की निजी संम्पत्ति नही रही। प्रार्थी एंव उसका पुत्र मन्दीप अप्रार्थीया के विवाह से पूर्व से ही गिर्राज कॉलोनी स्थित मकान में रहते थे। प्रार्थी के पुत्र मन्दीप से अप्रार्थीया का विवाह होकर पहली बार अप्रार्थीया गिर्राज कॉलोनी स्थित मकान में ही आई थी तथा आज तक उसी मकान में रह रही है। प्रार्थी, अप्रार्थीया के पति के पिता है। पुत्रवधू को अपने पति एंव उसके माता–पिता के घर में रहने का पूर्ण अधिकार है। भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत पुत्रवधू को बेदखल करने का कोई प्रावधान नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जावे। अप्रार्थिया ने अपने कथनों के समर्थन में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण एसएलपी(सी) 1048/2020 निर्णय दिनांक 15.10.2020 की प्रति पेश की।

बहस सुनने उपरांत पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस सुनने एंव पत्रावली का अवलोकन कर विद्वान अभिभाषकगण की ओर से प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन कर मनन करने के उपरान्त यह है कि प्रार्थी एंव अप्रार्थीया का ससुर – पुत्रवधु का सामाजिक संबध है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत नजीर से यह बिन्दु स्पष्ट है कि माता–पिता एंव वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत यदि वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता के भरण – पोषण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक और समीचीन है तो बेदखली का आदेश देने का अधिकार हो सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया (पुत्रवधु) को बेदखल करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यहां विचारणीय बिन्दु यह है कि प्रार्थी द्वारा पुत्र के संबध में आवेदन में कोई अंकन नही किया है। अप्रार्थीया द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी अप्रार्थिया का अपने पुत्र मन्दीप से तलाक कराना चाहता है इसलिए शारीरिक मानसिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से तंग व परेशान कर जबरदस्ती निवास स्थान से बेदखल करना चाहते है। अप्रार्थिया द्वारा पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी के बयानों की प्रति प्रस्तुत की है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पुत्र – पुत्रवधू के बीच बाद न्यायालय में विचाराधीन है। इस तथ्य से प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा भी बहस के दौरान इंकार नही किया है। चूंकि प्रार्थी के पुत्र–पुत्रवधू के बीच वाद न्यायालय में विचाराधीन है और प्रार्थी ने मात्र पुत्रवधू को घर से बेदखल किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है पुत्र के संबध में कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया है। इससे अप्रार्थीया की ओर से जवाब में प्रस्तुत दलीलों को बल मिलता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थिया जो कि प्रार्थी के पुत्र की पत्नि है तथा प्रार्थी द्वारा पुत्र को बेदखल कराना नही चाहा है मात्र पुत्रवधू को बेदखल करना चाहते है, को घर से बेदखल किया जाता है तो यह उसके विवाह उपरान्त प्राप्त अधिकारों का हनन होगा परन्तु प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक है और माता–पिता एंव वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एंव कल्याण अधिनियम 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एंव संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार उन्हे प्राप्त है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एंव बहस के दौरान ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नही होता है कि प्रार्थी की सुरक्षा को अप्रार्थिया से कोई

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

खतरा हो जिस हेतु अप्रार्थिया को घर से बेदखल किया जाना आवश्यक हो। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 मे अंकित किया है कि "प्रार्थी ने अपनी स्वंय की आय से मकान 90 वार्ड नम्बर 57 गिर्राज कॉलोनी धौलपुर में भूमि क्रय कर अपनी आयु एंव अवस्था के अनुसार मकान निर्माण कराया जिसमें तीन कमरे, एक किचिन, दो वेस्टन लेट–बाथ एक छोटा हॉल, भू–तल में बने हुए हैं तथा इसी प्रकार प्रथम मंजिल पर बना हुआ है।" इस प्रकार मकान में कुल 6 कमरे, दो किचन, चार बेस्टन लेट–बाथ, दो छोटे हॉल होते है, जो दो मंजिल में विभक्त है। जिसे हम दो सामान्य परिवारों के लिए पर्याप्त समझते है। विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रश्नगत प्रकरंणों के तथ्यों से भिन्न है तथा इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। अतः हम प्रार्थिया को प्रकरण में विवादित मकान से बेदखल किया जाना उचित नही समझते है। प्रार्थी द्वारा आज एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पारिवारिक न्यायालय का फैसला आने तक द्वितीय तल पर स्थित छात्रावास भवन में से 1 कमरा 1 रसोई व 1 लेटबाथ अप्रार्थिया को रहने हेतु दिये जाने हेतु सहमति जाहिर की है। अतः हम प्रार्थी की सहमति के आधार पर अप्रार्थिया के निवास हेतु प्रथम तल पर 02 कमरे 1 रसोई व 1 लेटबाथ पर्याप्त समझते है।

यद्यपि प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक है। अतः इम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थिया को पाबंद करते है कि वह प्रार्थी को गिर्राज कॉलोनी स्थित मकान के भू–तल के हिस्से में निवास करने में बाधा उत्पन्न नही करें तथा ना ही उपयोग व उपभोग करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें ना ही ऐसा कोई कृत्य करें जिससे कि प्रार्थी के स्वास्थ्य एंव सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पडे। तथा प्रार्थी की सहमति के आधार पर न्यायालय यह आदेश देती है कि प्रार्थी, अप्रार्थीया को गिर्राज कॉलोनी स्थित मकान के प्रथम तल पर 02 कमरे 01 रसोई व 01 लेटबाथ जो आपस में एक दूसरे से जुडे हो, अप्रार्थिया को रहने हेतु उपलब्ध करावे तथा प्रथम तल पर ऐसी कोई गतिविधि कारित ना करें जो अप्रार्थिया के रहने के लिए असुरक्षित हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20/8/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)